बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

रेबीज रोधी टीकाकरण– सह–जन जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक: 28 सितम्बर, 2020, स्थल: राज्य के सभी अनुमण्डल स्तरीय पशु चिकित्सालय
टीकाकरण की अवधि: 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- रेबीज रोग का नियंत्रण एवं उन्मूलन।
- रेबीज रोग से होने वाले बहुमूल्य मानव एवं पशुधन की प्राण रक्षा।
- रेबीज रोग के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार

कुत्तों में प्री–एक्सपोजर टीकाकरण

- पहला टीकाकरण – तीन माह की उम्र में
- बुस्टर टीकाकरण – प्रथम टीकाकरण के तीन सप्ताह बाद।
- तत्पश्चात् वर्ष में एक बार टीकाकरण

रेबीज को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाना चाहिए

- रेबीज के बारे में विशेष रुप से बच्चों के बीच जागरूकता प्रसारित की जानी चाहिए।
- बेसहारा जानवरों के अनावश्यक संपर्क से बचना चाहिए।
- घरेलु कुत्तों के साथ–साथ बेसहारा कुत्तों का भी टीकाकरण अवश्य किया जाना चाहिए।
- कुछ व्यक्तियों जैसे कुत्ता पकड़ने वालों, रेबीज रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों को रेबीज से संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए इस वर्ग में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्वयं को प्रतिरक्षित करवाना चाहिए।
- जानवर के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें।

कार्यक्रम की विशेष जानकारी निकटवर्ती पशु चिकित्सालय/संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय अथवा पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना, (दूरभाष संख्या 0612–2226049) से प्राप्त की जा सकती है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित।